

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की वित्त उप समिति की बैठक की कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि : 13-07-2021

स्थान : सभाकक्ष  
उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद,  
किसान मण्डो भवन अष्टम तल, विभूतिखण्ड,  
गोमतीनगर,  
लखनऊ ।

समय : पूर्वान्ह 11.30 बजे ।

उपस्थित :

- 1- डा० बिजेन्द्र सिंह , कुलपति — अध्यक्ष
- 2- श्री बृजराज सिंह यादव, विशेष कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ०प्र०शासन । — सदस्य
- 3- श्री मदन राजा भौर्या , संयुक्त निदेशक कोषागार, लखनऊ नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उ०प्र०शासन । — सदस्य
- 4- श्री गंगा सागर राय, सदस्य प्रबन्ध परिषद — सदस्य
- 5- श्री नीरज श्रीवास्तव , वित्त नियंत्रक — सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति/अध्यक्ष जी द्वारा वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियों प्रदान की गयी :-

प्रस्ताव सं० 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 05-02-2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि माननीय सदस्यों द्वारा की गयी ।

प्रस्ताव सं० 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृन कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 05-02-2021 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं सहमति व्यक्त करते हुए निम्नवत सुझाव/संस्तुतियों प्रदान की गयी :-



10/4/21

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 05-02-2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रस्ताव सं०:3

चालू शैक्षणिक सत्र में छात्राओं की बढ़ी हुयी संख्या को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राप्ती छात्रावास के बगल में 8 फिट ऊँची 100 मी० लम्बी चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित रू० 12.00 लाख के व्यय को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि कोविड-19 संक्रमण व लाकडाउन के कारण चहारदीवारी का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है तथा राप्ती छात्रावास के बगल में मण्डी परिषद द्वारा चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है एवं उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि यदि उनको योजना में कोई बचत होगी तो उक्त वांछित चहारदीवारी का निर्माण उन्हीं के स्तर से करा दिया जायेगा। यदि इसके उपरान्त भी चहारदीवारी का कुछ भाग अवशेष रह जाता है तो उक्त प्राविधानित धनराशि से चहारदीवारी का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा। वित्त उपसमिति उक्त सूचना से अवगत हुयी तथा सुझाव दिया गया कि अक्षेष चहारदीवारी का निर्माण कराया जाए।

प्रस्ताव सं०:6

डा० धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक कम सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय (परिसर) आजमगढ की पूर्व सेवाओं व प्राप्त वेतन के आधार पर छठे वेतन आयोग के अनुरूप मूलवेतन संरक्षित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि लिये गये निर्णयानुसार डा० धीरेन्द्र कुमार सिंह का वेतन संरक्षित किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है किन्तु अभी तक शासन का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन स्तर से शीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु पुनः अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय।

प्रस्ताव सं०: 7

चालू शैक्षणिक सत्र में नवागन्तुक छात्रों को एकल रुम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य परिसर के रिक्त आवासों में छात्रों को अधिवासित करने हेतु 200 नग तख्त, 200 नग कुर्सी एवं 200 नग मेज के क्रय पर रू० 12.00 लाख के अनुमानित व्यय के विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि कोविड-19 संक्रमण व लाकडाउन के कारण फर्नीचर का क्रय नहीं किया गया है। वित्त उपसमिति ने सुझाव दिया कि आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय श्रोत से फर्नीचरों का क्रय किया जाय जिससे छात्रों को असुविधा न हो।



प्रस्ताव सं० :9 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर के गोदावरी छात्रावास एवं कावेरी छात्रावास के शौचालय का अनुरक्षण कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित रू 10.00 लाख के व्यय को विश्वविद्यालय स्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि कोविड-19 संक्रमण व लाकडाउन के कारण महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर के गोदावरी छात्रावास एवं कावेरी छात्रावास के शौचालय का अनुरक्षण नहीं कराया गया है। वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से महाविद्यालय के छात्रावासों के शौचालय का अनुरक्षण कार्य रू0 10.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत शीघ्रतिशीघ्र कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० :12 भारत सरकार के वित्त पोषण से जनपद जौनपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र बक्शा, जौनपुर में कार्यरत श्रीमती अल्काराव, कनिष्ठ लिपिक एवं श्रीबरखू राम, चौकीदार, प्रसार निदेशालय का माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि) का वेतन भुगतान विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि श्रीमती अल्काराव कनिष्ठ लिपिक एवं श्री बरखूराम, चौकीदार के माह जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक हडताल अवधि के वेतन भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे वित्त उपसमिति अवगत हुयी।



वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 13-07-2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव

प्रस्ताव सं०: 3 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के वित्तीय वर्ष 2020-21 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021-22 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2020-21 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021-22 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त परिशिष्ट-क के अनुसार आय व्ययक को सर्वसम्मति से अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रस्ताव सं०: 4 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या की वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के आर्थिक चिढ़ठा (Balance Sheet) वित्त उप समिति एवं प्रबन्ध परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या की वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के आर्थिक चिढ़ठा (Balance Sheet) के अवलोकनोपरान्त प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० 5

विश्वविद्यालय में प्रसार निदेशालय के नियंत्रणाधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत वैज्ञानिकों / कर्मचारियों ( Technical , Administrative and Scientific) को निदेशक अटारी के ई-मेल दिनांक 10 मार्च 2021 के साथ संलग्न Under Secretary(AE),ICAR के पत्र संख्या F.No.A.Extn.4/14/2018-AE&III dated 9.03.3031 एवं F.No.A.Extn.4/14/ 2018- AE-III dated 11.03.3031 में दिये गये निर्देशानुसार साँतवे वेतनमान का पुनरीक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रसार निदेशालय के नियंत्रणाधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत वैज्ञानिकों / कर्मचारियों ( Technical , Administrative and Scientific) का

निदेशक अटारी के ई-मेल दिनांक 10 मार्च 2021 के साथ संलग्न Under Secretary(AE),ICAR के पत्र संख्या F.No.A.Extn.4/14/2018-AE-III-dated 9.03.3031 एवं F.No.A.Extn.4/14/ 2018- AE-III dated 11.03.3031 में दिये गये निर्देशानुसार साँतवे वेतनमान के पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 6

विश्वविद्यालय में कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारों की मजदूरी पुनरीक्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग-3 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० 14/2020/474/36-03-2020-01 (अधि०) 2005 लखनऊ दिनांक 08-05-2020 के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारों की मजदूरी पुनरीक्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग-3 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० 14/2020/474/36-03-2020-01 (अधि०) 2005 लखनऊ दिनांक 08-05-2020 की अधिसूचना के अनुसार रू० 201/- प्रतिदिन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 7

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद आजमगढ़ में कृषि विज्ञान केन्द्र -II स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उप सचिव (कृषि प्रसार ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , कृषि अनुसंधान भवन ,पूसा , नई दिल्ली के पत्रांक A.Extn.7/21/2017-AR-II दिनांक 04 मार्च 2021 के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद आजमगढ़ में कृषि विज्ञान केन्द्र - I स्थापित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 8

निदेशक अटारी , रावतपुर, कानपुर ( भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) भारत सरकार के पत्रांक F. N0./ATARI/Soil Testing Kit/2016-17 Dated 22/03/2017 एवं F. N0./ ATARI / Soil Testing Kit/2016-17 Dated February ,2017 के द्वारा 17 कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु रू० 14.62 लाख एवं 6.02 कुल रू० 20.64 लाख के मृदा परीक्षण किट क्रय किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से निदेशक अटारी , रावतपुर, कानपुर ( भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) भारत सरकार के पत्रांक F. N0./ATARI/Soil Testing Kit/2016-17 Dated 22/03/2017 एवं F.



12/4/21

N0./ATARI/Soil Testing Kit/2016-17 Dated February ,2017 में दिये गये निर्देशानुसार 17 कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु रू0 14.62 लाख एवं 6.C2 कुल रू0 20.34 लाख के मृदा परीक्षण किट विश्वविद्यालय नियमानुसार क्रय किये जाने की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि आई0सी0ए0आर0 से जिस मद में धन प्राप्त हुआ है उसी मद में मृदा परीक्षण किट का क्रय किया जाय ।

प्रस्ताव सं0 9 विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर स्थापित प्रशासनिक भवन में 6 व्यक्तियों की क्षमता की लिफ्ट की स्थापना कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित व्यय रू0 16.00 लाख को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।



वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर स्थापित प्रशासनिक भवन में 6 व्यक्तियों की क्षमता की लिफ्ट की स्थापना कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित व्यय रू0 16.00 लाख को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 10 विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर स्थापित प्रशासनिक भवन में आने वाले आगन्तुको हेतु पार्किंग के निर्माण एवं उस पर होने वाले सम्भावित व्यय रू0 07.00 लाख को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि प्रशासनिक भवन में आने वाले आगन्तुको हेतु पार्किंग के निर्माण में प्रस्ताव में उल्लिखित 500 वर्गमीटर के स्थान पर इससे अधिक क्षेत्रफल पर पार्किंग निर्माण कराया जाना है जिसमें अब लगभग रू0 10.00 लाख का व्यय सम्भावित है। वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता के दृष्टिगत सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर पर स्थापित प्रशासनिक भवन में पार्किंग का निर्माण रू0 10.00 लाख की सीमा तक कराये जाने एवं होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 11 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुनारगंज-अयोध्या के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पत्र संख्या ई-3019/32-जी0एस0/2020 दिनांक 18 मई 2021 एवं संख्या ई-4229/जी0एस0 दिनांक 2 जुलाई 2021 के आलोक में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशानुसार एजेण्डा प्रस्ताव को वित्त उपसमिति / प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुनारगंज-अयोध्या के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पत्र संख्या ई-3019/32-जी0एस0/2020 दिनांक 18 मई 2021 एवं संख्या ई-4229/ जी0एस0 दिनांक 2 जुलाई 2021 तथा विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1679327/67-कृशिअ-21-1099/26/2C21 दिनांक 05-07-2021 के क्रम में

विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वित्त उपसमिति द्वारा यह भी संस्तुति प्रदान की गयी कि पूर्व में विज्ञापित पदों के विज्ञापन को निरस्त करते हुए माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पदों का विज्ञापन पुनः किया जाय ।

प्रस्ताव सं० 12 विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या 01/2021 दिनांक 04-02-2021 व विज्ञापन संख्या 04/2021 दिनांक 18-03-2021 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या 01/2021 दिनांक 04-02-2021 व विज्ञापन संख्या 04/2021 दिनांक 18-03-2021 को निरस्त किये जाने एवं विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 1679327/67-कृषिअ-21-1099/26/2021 दिनांक 05-07-2021 के क्रम में शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पत्र संख्या ई-3019/32-जी०एस०/2020 दिनांक 18 मई 2021 एवं संख्या ई-4229/ जी०एस० दिनांक 2 जुलाई 2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार प्रश्नगत शासनादेश की व्यवस्थायें लागू किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 13 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली में संशोधन पर विचारार्थ एवं निर्णय हेतु ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु विद्वत् परिषद की 287वीं बैठक दिनांक 07-07-2021 में पारित अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली में निम्नानुसार बिन्दुवार किये गये संशोधन पर विचार विमर्श किया गया :-

- 1- प्रतिवर्ष संबंधित कालेज की कुल संख्या की अधिकतम 5 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वरिष्ठता के आधार पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।
- 2- शिक्षकों की वरिष्ठता योगदान तिथि के आधार पर निर्धारित होगी । दो शिक्षकों की योगदान तिथि के समानता की स्थिति में उन शिक्षकों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा ।
- 3- यदि किसी एक विभाग में भी दो शिक्षक वरिष्ठ होते हैं तो प्रथम वरिष्ठता धारक को ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।
- 4- विभाग में केवल एक ही शिक्षक की उपलब्धता की स्थिति में महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा संस्तुति के पश्चात ही उस शिक्षक को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा ।



वि.प.-३६

- 5- पी0एच0डी0 में थेसिस रिसर्च कार्य ,विश्वविद्यालय की रिसर्च मैनुअल से संबंधित एवं समिति ( जिसके चेयरमैन अधिष्ठाता परास्नातक (Dean P.G.) और सदस्य गण अधिष्ठाता व कुलसचिव हो ) से Endorse अथवा Recommend किया जाना आवश्यक होगा ।
- 6- जिन शिक्षको /वैज्ञानिको के पास कोई Project चल रही है तं को-पी0आई0 को पी0आई0 के सहमति एवं महाविद्यालय के अधिष्ठाता की संस्तुति के क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत पर विचार किया जायेगा। पी0आई0 को परियोजना पूर्ण होने के बाद ही उपरोक्त नियमों के अधीन अध्ययन अवकाश स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।
- 7- न्यूनतम रू0 5400 ए0पी0 में नियुक्त कार्मिक / तकनीकी कार्मिक को न्यूनतम 10 वर्ष (दस वर्ष ) की सेवा पूर्ण होने पर ही उपरोक्त नियमों के अधीन अध्ययन अवकाश हेतु विचार किया जायेगा ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति महोदय ने समिति को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2018 में जारी गाइडलाइन के अनुसार पी0एच0डी0 अर्हता धारक अभ्यर्थियों का ही चयन शिक्षक/वैज्ञानिक के पद पर होगा किन्तु पूर्व में यह व्यवस्था न होने के फलस्वरूप पहले से कार्यरत एवं पी0एच0डी0 न किये हुये शिक्षको एवं वैज्ञानिकों को पदोन्नति/कैरियर एडवांसमेंट का लाभ नही प्राप्त हो पा रहा है । पूर्व व्यवस्था के तहत विभागवार मात्र 5 प्रतिशत पदों पर ही अध्ययन अवकाश की व्यवस्था होने के कारण ऐसे अध्यापक पी0एच0डी0 भी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण उक्त 5 प्रतिशत लोगों को अध्ययन अवकाश पर भेजने सम्बन्धी नियम के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है ।

अतः समिति उक्त समस्या से अवगत हुयी एवं शिक्षको /वैज्ञानिको के हित में यह सुझाव दिया गया कि यदि विश्वविद्यालय में ही पी0एच0डी0 हेतु अध्ययन अवकाश लिया जाता है तो 95 प्रतिशत शिक्षको की उपलब्धता को बनाये रखने (maintain) का प्रतिबन्ध शिथिल कर दिया जाये किन्तु यदि विश्वविद्यालय के बाहर अध्ययन अवकाश पर भेजा जाता है तो 95 प्रतिशत कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता का नियम यथावत रहेगा। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त वित्त उप समिति द्वारा शिक्षकों /वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश संबंधी प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए तदनुसार विस्तृत प्रस्ताव जिसमें स्वीकृत पदों एवं भरे पदों का पूर्ण विवरण का उल्लेख अवश्य हो ,आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 14

विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक कम अध्यक्ष, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एस0एम0एस0)टी-6, टी-4 व अन्य रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन संख्या 02/2021 व विज्ञापन संख्या 03/2021 में विज्ञापित पदों की आयु सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक संशोधन के निमित्त प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद के विचार एवं निर्णय हेतु ।

वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक कम अध्यक्ष, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एस0एम0एस0)टी-6, टी-4 व अन्य रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन संख्या


02/2021 व विज्ञापन संख्या 03/2021 में विज्ञापित पदों की आयु सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नानुसार संशोधन किया जाना है:-


- 1- Prescribe age limit should be restricted to closing date of applicaton.  
निर्धारित आयु सीमा आवेदन के अन्तिम तिथि तक सीमित होनी चाहिए ।
- 2- For the post of Senior Scientist cum Head, there is no age limit  
वरिष्ठ वैज्ञानिक कम अध्यक्ष के लिए कोई आयु सीमा नहीं है ।
- 3- For the post of Subject Matter Specialist (T6), Farm Manager, Programme Assistant (Lab Technician), Programme Assistant (Computer ), Assistant / All-T4 and others , the age should not exceed more than 40 years. Relaxation of 05 years in case of OBC and SC/ST category and for PWD 05 years relaxation in the upper age limit in direct Recruitment for the post of Group A and Group B and 10 years relaxation in the upper age limit in direct recruitment fo the post of Group C and Group D.

विषय वस्तु विशेषज्ञ (T4) प्रक्षेत्र प्रबन्धक, कार्यक्रम सहायक (लेब टेक्नीशियन), कार्यक्रम सहायक कम्प्यूटर, सहायक / समस्त T4 एवं अन्य की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु 05 वर्ष तथा दिव्यांग ( पो0डब्लू0डी0) व्यक्तियों को समूह क तथा ख की सेवाओं की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तथा ग तथा घ की सेवाओं की सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार आयु सीमा में उक्त संशोधन किये जाने संस्तुति प्रदान की गयी

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

  
(नीरज श्रीवास्तव )  
वित्त नियंत्रक / सचिव  
वित्त उप समिति

  
(डा0 बिजेन्द्र सिंह )  
कुलपति / अध्यक्ष  
वित्त उप समिति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0 / 8 / वि0उ0स0 / लेखा / 2021 / 321 दिनांक 13-07-2021

प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

  
(नीरज श्रीवास्तव )  
वित्त नियंत्रक / सचिव  
वित्त उप समिति



परिशिष्ट-क

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या  
आय-व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष वर्ष 2020-21 एवं अनुमान वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख में)

क्रमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2020-21	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2021-22
1	राज्य सरकार राजस्व		
क	कृषि विश्वविद्यालय	6289.07	8567.20
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	1223.80	2323.06
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	191.28	456.88
घ	कृषि महाविद्यालय कैम्पस आजमगढ़	377.29	499.18
छ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रों हेतु)	2.00	2.00
ज	तकनीकी प्रशिक्षण	0.00	10.00
झ	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	148.99	701.57
	योग (राज्य सरकार राजस्व)	8232.43	12559.89
2	राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत		
	राजस्व		
क	भारतीय कृषि अनु० परि० के सहयोग से संचालित परियोजनाओं हेतु 75:25 प्रतिशत परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	349.04	453.21
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	662.23	500.00
ग	सावे पर व्यय( 25 प्रतिशत)	0.00	5.00
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी०वी०एस०सी०एण्ड ए०एच० पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्शिप कार्यक्रम हेतु राज्यांश	0.00	1.50
च	कृषि विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	26.29	100.00
	कृषि विज्ञान केन्द्रों को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाना	3.03	200.00
	राजस्व / पूँजीगत		
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2694.55	3797.07
	योग (राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत)	3735.14	5056.78



निदेश

3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	3744.76	3609.19
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	376.45	451.74
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	0.00	100.00
घ	रावे पर व्यय ( 75 प्रतिशत)	0.00	20.00
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	0.00	50.00
	केन्द्रीय सहायता न्द्रेन्थनिंग आफ डेवलपमेन्ट	149.46	500.00
	नाहेप योजना(NAHEP)	194.21	141.44
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु ( 75 प्रतिशत घनराशि)	1047.13	1181.19
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	1.29	1016.99
	योग	5513.30	7070.55
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	186.80	25.61
	योग	186.80	25.61
5	चकीय निधि	545.42	885.49
	योग	545.42	885.49
	सम्पूर्ण योग (1 से 5 तक )	18213.09	25598.32



20/2/22

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की वित्त उप समिति की बैठक की कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि : 10-12-2021

स्थान : सभाकक्ष  
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,  
रायबरेली रोड दिलकुशा,  
लखनऊ ।

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे ।

उपस्थित :

- 1- डा0 बिजेन्द्र सिंह , कुलपते - अध्यक्ष
- 2- श्री बृजराज सिंह यादव, विशेष कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ0प्र0शासन । - सदस्य
- 3- श्री अशोक कुमार सिंह , वित्त नियंत्रक कृषि निदेशालय, लखनऊ नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन । - सदस्य
- 4- श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव , क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी नामित सदस्य अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा ,उ0प्र0शासन । - सदस्य
- 5- श्री गंगा सागर राय, सदस्य प्रबन्ध परिषद - सदस्य
- 6- श्री नीरज श्रीवास्तव , वित्त नियंत्रक - सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति/अध्यक्ष जी द्वारा वित्त उपसमिति के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत संस्तुतियाँ प्रदान की गयी :-

प्रस्ताव सं0 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 13-07-2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि माननीय सदस्यों द्वारा की गयी ।

प्रस्ताव सं0 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 13-07-2021 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं सहमति व्यक्त की गयी ।



प्रस्ताव सं० 03

अर्न्तराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपीन्स को कृषि विज्ञान केन्द्र कोटवा आजमगढ पर क्रियान्वित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से अर्न्तराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपीन्स द्वारा स्वीकृत "Climate Smart Management Practices" परियोजना को कृषि विज्ञान केन्द्र कोटवा आजमगढ पर क्रियान्वित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 04

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली में संशोधनार्थ प्रबन्ध परिषद की 190वीं बैठक दिनांक 13-07-2021 के प्रस्ताव सं० 190:13 में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्ताव ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु विद्वत परिषद की 287वीं बैठक दिनांक 07-07-2021 में पारित अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियमावली जिस पर प्रबन्ध परिषद की 190वीं बैठक दिनांक 13-07-2021 के प्रस्ताव सं० 190:3 में सैद्धान्तिक सहमति निम्नानुसार प्रदान की गयी :-

- 1- प्रतिवर्ष संबंधित कालेज की कुल संख्या की अधिकतम 5 प्रतिशत शिक्षको को उनकी न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वरिष्ठता के आधार पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।
- 2- शिक्षको की वरिष्ठता योगदान तिथि के आधार पर निर्धारित होगी । दो शिक्षकों की योगदान तिथि के समनता की स्थिति में उन शिक्षकों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा ।
- 3- यदि किसी एक विभाग में भी दो शिक्षक वरिष्ठ होते हैं तो प्रथम वरिष्ठता धारक को ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।
- 4- विभाग में केवल एक ही शिक्षक की उपलब्धता की स्थिति में महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा संस्तुति के पश्चात ही उस शिक्षक को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा ।
- 5- पी0एच0डी0 में थिसिस रिसर्च कार्य , विश्वविद्यालय की रिसर्च मैनेजेंट से संबंधित एवं समिति ( जिसके चेयरमैन अधिष्ठाता परास्नातक (Dean P.G.) और सदस्य गण अधिष्ठाता व कुलसचिव हो ) से Endorse अथवा Recommend किया जाना आवश्यक होगा ।
- 6- जिन शिक्षको / वैज्ञानिको के पास कोई Project चल रही है तो को-पी0आई0 को पी0आई0 के सहमति एवं महाविद्यालय के अधिष्ठाता की संस्तुति के क्रम में नाननीय कुलपति महोदय द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत पर विचार किया जायेगा । पी0आई0 को परियोजना पूर्ण होने के बाद ही उपरोक्त नियमों के अधीन अध्ययन अवकाश स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।
- 7- न्यूनतम रू० 5400 ए० पी० में नियुक्त कार्मिक / तकनीकी कार्मिक का न्यूनतम 10 वर्ष (दस वर्ष ) की सेवा पूर्ण होने पर ही उपरोक्त नियमों के अधीन अध्ययन अवकाश हेतु विचार किया जायेगा ।



अतः समिति उक्त समस्या से अवगत हुयी एवं शिक्षको / वैज्ञानिकों के हेतु में यह सुझाव दिया गया कि यदि विश्वविद्यालय में ही पी0एच0डी0 हेतु अध्ययन अवकाश लिया जाता है तो 95 प्रतिशत शिक्षको की उपलब्धता को बनाये रखने (maintain) का प्रतिबन्ध शिथिल कर दिया जाये किन्तु यदि विश्वविद्यालय के बाहर अध्ययन अवकाश पर भेजा जाता है तो 95 प्रतिशत कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता का नियम यथावत रहेगा।

वित्त उप समिति विश्वविद्यालय में रिक्त/भरे शैक्षिक पदों की सूचना से अवगत हुयी, तदोपरान्त उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त वित्त उप समिति द्वारा शिक्षकों/वैज्ञानिकों को उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन अवकाश संबंधी प्रस्ताव को उक्तानुसार सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं0 05

प्रबन्ध परिषद की 189वीं बैठक दिनांक 05-02-2021 के प्रस्ताव सं0 189:17 में लिये गये निर्णय के क्रम में माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि) में छूटे हुए कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु गठित समिति की संस्तुति पर विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्ताव।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव सं0 189:17 में लिये गये निर्णय एवं गठित समिति की संस्तुति के क्रम में माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि) में छूटे हुए कार्मिक श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अनुसंधान सहायक, श्री राम चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त शोध सहायक, श्री बरखू राम, चौकीदार एवं श्रीमती अल्का राव, कनिष्ठ लिपिक के वेतन भुगतान किये जाने को संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं0 06

कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति **Establishment of milk processing plant** " परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति **Establishment of milk processing plant** परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं0 07

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के आडिटेड आर्थिक चिट्ठा (**Audited Balance Sheet**) वित्त उपसमिति एवं प्रबन्ध परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या की वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के आडिटेड आर्थिक चिट्ठा (**Audited Balance Sheet**) के अवलोकनोपरान्त प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं0 08

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या की वर्ष 2020-21 के आडिटेड आर्थिक चिठ्ठा ( **Balance Sheet**) वित्त उपसमिति एवं प्रबन्ध परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज ,अयोध्या की वर्ष 2020-21 के आडिटेड आर्थिक चिठ्ठा (Audited Balance Sheet) के अवलोकनोपरान्त प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 09

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना से कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया के प्रशासनिक भवन निर्माण जनपद देवरिया कार्यान्वित्त किए जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना से प्राप्त धनराशि रू0 160.40 लाख से कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया के प्रशासनिक भवन का निर्माण जनपद देवरिया में किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 10


कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र को गोद लेने विषयक प्रस्ताव कार्यान्वित्त किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र को गोद लिये जाने एवं उस पर होने वाले व्यय को कुलसचिव के रिवाल्विंग फण्ड / विश्वविद्यालय प्राप्तियों से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं0 11

कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति "Drone : An Alternative Tool for Pest Surveillance and Management in Crops" परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित्त किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश लखनऊ के गाइडलाइन के अनुसार वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति "Drone : An Alternative Tool for Pest Surveillance and Management in Crops" परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित्त किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।



प्रस्ताव सं० 12

Unbranded Hydraulic Diesel Recovery Vehicle with Single Boom Recovery Equipment NA(TATA 407 11 MTR SKY LIFT) का क्रय करने एवं क्रय पर सम्भावित व्यय रू० 23.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं प्रक्षेत्र जो लगभग 18 किमी० की परिधि में है तथा 100 स्ट्रीट लाइट के अनुरक्षण का कार्य बॉस द्वारा बनी हुयो सीडी से किया जाता है जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है विश्वविद्यालय में पहले लगभग 100 कार्मिको द्वारा विद्युत अनुरक्षण का कार्य किया जाता था जिसमें से अधिकतर सेवानिवृत्त हो गये है तथा जो बचे हुये है उनके अधिक उम्र होने के कारण विद्युत अनुरक्षण का कार्य लिये जाने से उनके जीवन की क्षति का भय बना रहता है। ऐसी स्थिति में Unbranded Hydraulic Diesel Recovery Vehicle with Single Boom Recovery Equipment NA(TATA 407 11 MTR SKY LIFT) का क्रय करने से स्ट्रीट लाइट के अनुरक्षण का कार्य सुगमतापूर्वक तीव्र गति से सुरक्षापूर्वक सम्पादित होगा ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से Unbranded Hydraulic Diesel Recovery Vehicle with Single Boom Recovery Equipment NA(TATA 407 11 MTR SKY LIFT) का क्रय जेम पोर्टल से करने एवं क्रय पर सम्भावित व्यय रू० 23.00 लाख विश्वविद्यालय प्राप्तियों से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 13

माननीय कुलपति एवं अतिथि आगंतुको के प्रक्षेत्र भ्रमण हेतु दो ई-रिक्शा के क्रय एवं क्रय पर सम्भावित व्यय 5.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति एवं बाहर से आने वाले आगन्तुकों के प्रक्षेत्र भ्रमण हेतु दो ई-रिक्शा का क्रय किया जाना आवश्यक है।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से दो ई-रिक्शा का क्रय जेम पोर्टल से किये जाने एवं क्रय पर सम्भावित व्यय रू० 5.00 लाख विश्वविद्यालय प्राप्तियों से वहन किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।



प्रस्ताव सं० 14

फॉर्टिस इण्डिया प्रा० लि० हैदराबाद से परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय को प्राप्त धनराशि रू० 16.00 लाख में से नान-रिकरिंग मद में प्राप्त रू० 12.40 लाख के सापेक्ष परियोजना संचालन हेतु आवश्यक 273 मी० लम्बाई में 2 फिट ईटों की दीवाल के साथ जाली लगवाते हुये चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से फॉर्टिस इण्डिया प्रा० लि० हैदराबाद से परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय को प्राप्त धनराशि रू० 16.00 लाख में से नान-रिकरिंग मद में प्राप्त रू० 12.40 लाख के सापेक्ष परियोजना संचालन हेतु आवश्यक 273 मी० लम्बाई में 2 फिट ईटों की दीवाल के साथ जाली लगवाते हुये चहारदीवारी का निर्माण रू० 9.98 लाख से कराये जाने की कार्योत्तर संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 15

विश्वविद्यालय के रिंग रोड से वी०आई०पी० गेस्ट हाउस को जाने वाले मार्ग के अनुरक्षण का कार्य कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू० 9.99 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।


वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के रिंग रोड से वी०आई०पी० गेस्ट हाउस को जाने वाले मार्ग के अनुरक्षण का कार्य कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू० 9.99 लाख का वहन विश्वविद्यालय प्राप्तियों से किये जाने की कार्योत्तर संस्तुति प्रदान की गयी ।


प्रस्ताव सं० 16

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर मुख्य प्रयोग केन्द्र उद्यान के पूर्वी भाग में 273 मी० लम्बाई में 2 फिट ईटों की दीवाल के साथ जाली लगवाते हुये चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू० 10.00 लाख विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू० 17444575.00 के सापेक्ष किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।


वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पर मुख्य प्रयोग केन्द्र उद्यान के पूर्वी भाग में 273 मी० लम्बाई में 2 फिट ईटों की दीवाल के साथ जाली लगवाते हुये चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं इस पर सम्भावित व्यय रू० 10.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू० 17444575.00 से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

  
(नीरज श्रीवास्तव )  
वित्त नियंत्रक/सचिव  
वित्त उप समिति

  
(डा० बिजेन्द्र सिंह )  
कुलपति/ अध्यक्ष  
वित्त उप समिति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।  
पत्रांक ए०एन०डी०यू०ए०टी०/८/वि०उ०स०/लेखा/2021/981 दिनांक 10-12-2021  
प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

  
(नीरज श्रीवास्तव )  
वित्त नियंत्रक/ सचिव  
वित्त उप समिति